

FIRST INFORMATION REPORT  
Under Section 173 B.N.S.S.  
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)  
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025  
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0216 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 21/08/2025 18:31 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम)                                                             | Sections (धाराएँ) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1               | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7                 |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):  
1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 14/08/2025 Date To (दिनांक तक): 20/08/2025  
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 14:30 बजे Time To (समय तक): 13:45 बजे  
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 21/08/2025 Time (समय): 17:00 बजे  
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 21/08/2025 18:31:54 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित  
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 30 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE  
(b)Address(पता): PRIVETE OFFICE CHUGH E-MITRA KE UPAR,, BADA GURUDAWARA KE SAMANE,, KESARISINGHPURA  
(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)  
Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य) ):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): NAYAB SINGH

(b) Father's Name (पिता का नाम): SURJAN SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1968

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.

Id Type

Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता)                                                  |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                | वर्तमान पता                  | GOAN 6 V, DHANOUR, SHRIKARANPUR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA |
| 2                | स्थायी पता                   | GOAN 6 V, DHANOUR, SHRIKARANPUR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA |

(j) Phone number

(दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम)      | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता)                                  |
|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1               | PANKHILAL MEENA |               | पिता:KHYALIRAM MEENA               | 1. GOAN HIGONEE,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN,INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1               | मिक्के और मुद्रा                    | रुपये                              |                     | 95,000.00                      |

10. Total value of property stolen(In Rs/-)  
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ): 95,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

| S.No.<br>(क्र.सं.) | UIDB Number<br>(यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|--------------------|--------------------------------------|
|--------------------|--------------------------------------|

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर। विषय- भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं नायब सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह जाति जटसिख उम्र 57 साल निवासी चक 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला हूं। मेरे नाम से चक 11 एस के मुरब्बा न. 1, 5, 10, 13 व 30 में करीब 25 बीघा कृषि भूमि एवं मेरी पत्नी श्रीमती सतवीर कौर के नाम चक 11 एस के मुरब्बा न. 5 व 21 में करीब 13 बीघा कृषि भूमि तथा चक 6 वी के मुरब्बा न. 53 व 60 करीब 4.5 बीघा कृषि भूमि तथा चक 3 एक्स के मुरब्बा 22 में करीब 4.5 बीघा कृषि भूमि है। खरीफ 2024 में मैंने मेरे एवं मेरी पत्नी के नाम की भूमि पर मूंग की फसल काशत की थी, जिसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ग्राम सेवा सहकारी समिति धनूर से फसल बीमा करवाया था, मूंग की फसल खराब हो गई थी, जिसकी क्रोप कटिंग हमारे हल्का पटवारी पंखीलाल मीणा ने की थी, क्रोप कटिंग के आधार पर फसल का बीमा क्लेम मेरे दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा केसरीसिंहपुर के खाता सं. 33011105740013725 में दिनांक 11.08.25 को 1,58686/रूपये तथा मेरी पत्नी सतवीर कौर के एचडीएफसी के खाता सं. 50100252934942 में 69,361/रूपये जमा हुये है। जिसका पता हमारे हल्का पटवारी पंखीलाल को चलने पर तीन दिन से लगातार अपने मोबाईल न. से मेरे मोबाईल न. पर कॉल करके कह रहा है कि यह मूंग की फसल का बीमा क्लेम मेरे द्वारा मदद करने पर मिला है, इसलिय मुझे आपके खाता में जमा क्लेम की राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा खर्चे पानी के दो। मैं मेरे एवं मेरी पत्नी के मूंग की फसल खराब होने पर प्राप्त क्लेम राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा रिश्तत के तौर पर पंखीलाल हल्का पटवारी को नहीं देकर उसे रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उससे कोई रंजिश नहीं है तथा ना ही कोई उधार का लेन देन है। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। प्रार्थी एसडी नायब सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह निवासी चक 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर मो.न. दिनांक 14.08.25 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 14.08.25 वक्त 1.30 पीएम पर नायब सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह जाति जटसिख उम्र 57 साल निवासी चक 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ने स्वयं चौकी भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर-प्रथम पर उपस्थित होकर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, महोदय से मिलकर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी नायबसिंह से मिलवाकर उनका प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। प्रार्थना में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र अपने परिचित से लिखवाना एवं उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मेरे नाम से चक 11 एस के मुरब्बा न. 1, 5, 10, 13 व 30 में करीब 25 बीघा कृषि भूमि एवं मेरी पत्नी श्रीमती सतवीर कौर के नाम चक 11 एस के मुरब्बा न. 5 व 21 में करीब 13 बीघा कृषि भूमि तथा चक 6 वी के मुरब्बा न. 53 व 60 करीब 4.5 बीघा कृषि भूमि तथा चक 3 एक्स के मुरब्बा 22 में करीब 4.5 बीघा कृषि भूमि है। खरीफ 2024 में मैंने मेरे एवं मेरी पत्नी के नाम की भूमि पर मूंग की फसल काशत की थी, जिसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ग्राम सेवा सहकारी समिति धनूर से फसल बीमा करवाया था, मूंग की फसल खराब हो गई थी, जिसकी क्रोप कटिंग हमारे हल्का पटवारी पंखीलाल मीणा ने की थी, क्रोप कटिंग के आधार पर फसल का बीमा क्लेम मेरे दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा केसरीसिंहपुर के खाता सं. 33011105740013725 में दिनांक 11.08.25 को 1,58686 /रूपये तथा मेरी पत्नी सतवीर कौर के एचडीएफसी के खाता सं. 50100252934942 में 69,361/रूपये जमा हुये है। जिसका पता हमारे हल्का पटवारी पंखीलाल को चलने पर तीन दिन से लगातार अपने मोबाईल न. से मेरे मोबाईल न. पर कॉल करके कह रहा है कि यह मूंग की फसल का बीमा क्लेम मेरे द्वारा मदद करने पर मिला है, इसलिय मुझे आपके खाता में जमा क्लेम की राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा खर्चे पानी के दो। मैं मेरे एवं मेरी पत्नी के मूंग की फसल खराब होने पर प्राप्त क्लेम राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा रिश्तत के तौर पर पंखीलाल हल्का पटवारी को नहीं देकर उमे रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उससे कोई रंजिश नहीं है तथा ना ही कोई उधार का लेन देन है। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने पर परिवादी श्री नायब सिंह को उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आरोपी द्वारा रिश्तत मांगने के आरोपो का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो उसने इस हेतु अपनी सहमति दी। फिर परिवादी ने बताया कि आगे 15 अगस्त और

जन्माष्टमी एवं रविवार का अवकाश है, पटवारी नहीं मिलेगा, मैं सोमवार को रिश्तत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर उपयोग में लेने की विधि समझाकर श्री भवानी सिंह कानि. से परिचय करवाया गया एवं दोनों को एक दूसरे के मोबाईल नम्बर दिलवाकर सत्यापन कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् परिवादी को हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 18.08.25 को वक्त 10.15 एएम पर श्री भवानी सिंह कानि. को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आवश्यक निर्देश देकर सत्यापन करवाने हेतु बजानिब केसरीसिंहपुर की ओर रवाना किया गया। वक्त 1.15 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा श्री भवानी सिंह कानि. व परिवादी श्री नायब सिंह कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। श्री भवानी सिंह कानि. ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मेरे को पेश किया। परिवादी ने बताया कि भवानी सिंह मेरे को केसरीसिंहपुर बस स्टेण्ड के पास मिला था, फिर श्री भवानी सिंह ने मुझे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर मेरे सुपुर्द करने पर मैं आरोपी पटवारी के केसरीसिंहपुर स्थित प्राईवेट ऑफिस में चला गया एवं श्री भवानी सिंह बाहर ही गोपनीय स्थान पर रुक गया था, मैं आरोपी पटवारी के ऑफिस में जाकर मिला तो पंखीलाल पटवारी ने मेरे से मेरे और मेरी पत्नी के बैंक खाते में आये बीमा क्लेम की करीब 2.28 लाख रुपये राशि का पहले तो 45 प्रतिशत बतौर रिश्तत मांग की, फिर मैंने पटवारी से हाथा जोड़ी कर कम करने का कहा तो उसने 40 प्रतिशत के हिसाब से कुल 95,000/रुपये बतौर रिश्तत के लेने हेतु सहमत हुआ है, जिसे मैंने कल या परसो में रिश्तत राशि देने हेतु कहा है। इस पर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को लेपटॉप से सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये रिश्तत मांग के तथ्यों की पुष्टि हुई। परिवादी ने बताया कि मुझे आज जरूरी काम है, मैं दिनांक 20.08.25 को आरोपी पटवारी को रिश्तत राशि दूंगा, मैं दिनांक 20.08.25 को सुबह 8.00 बजे आपके ऑफिस में उपस्थित हो जाऊंगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 19.08.25 को वक्त 6.15 पीएम पर दिनांक 20.08.25 को कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, श्रीगंगानगर को दो स्वतन्त्र गवाह दिनांक 20.08.25 को सुबह 8.00 एएम पर इस कार्यालय में भिजवाने हेतु जरिये दूरभाष निवेदन किया गया। दिनांक 20.08.25 वक्त 8.00 एएम पर परिवादी श्री नायब सिंह ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया तथा परिवादी ने बताया कि मैं आरोपी को रिश्तत में देने वाली राशि 95,000/रुपये साथ लेकर आया हूँ। वक्त 8.05 एएम पर तलबिदा श्री साहिब्राम निजी सहायक एवं श्री धर्मवीर अति. प्रशासनिक अधिकारी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग श्रीगंगानगर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये हैं। जिनको गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में शामिल रहने बाबत पूछा तो दोनों ने अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री नायब सिंह का उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन करवाकर परिवादी की रिपोर्ट का सार बताते हुये सत्यापन के तथ्यों से अवगत करवाया गया। वक्त 8.15 एएम पर दिनांक 18.08.25 को परिवादी श्री नायब सिंह ने आरोपी पंखीलाल मीणा राजस्व पटवारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर रिश्तत मांग के सत्यापन हेतु वार्ता कर वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था जो मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा है। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी के कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्तत मांग सत्यापन तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता सुनकर वार्ता में परिवादी श्री नायब सिंह ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी पंखीलाल मीणा की होना बताया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता के कम्प्यूटर के जरिये श्री भवानी सिंह कानि. से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपड़े की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दूसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सील चिट कर मार्क 'V' अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित की गई। वक्त 10.05 एएम पर उक्त दोनो गवाहान की मौजूदगी में निर्देशानुसार परिवादी श्री नायब सिंह ने अपने पाम से रिश्तत में दी जाने वाली राशि 500-500/रु के 190 नोट कुल 95,000/-रुपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। जिनका विवरण इस प्रकार है- 1. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. OHL 968536, 2. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 9PW 252762, 3. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 0RT 689729, 4. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 1GS 889315, 5. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 9HP 350620, 6. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 1VP 224459, 7. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 8VP 912843, 8. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 1EM 228073, 9. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 4MU 848575, 10. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 9FP 845063, 11. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 9UP 303382, 12. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 6CB 390170, 13. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 1HU 651660, 14. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 0MT 944452, 15. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 1BT 836164, 16. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 9SH 531431, 17. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 7HE 423484, 18. एक नोट पांच सौ रुपये

5

6

नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 0GG 780403, 190. एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा नं. 6UL 079064। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन उप पुलिस अधीक्षक ने परिवादी एवं गवाहान को दिखाकर श्री रमन दायमा कानि. 48 से फिनालपथलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त सभी नोटों को अखबार पर रखवाकर फिनालपथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटों पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह श्री धर्मवीर से परिवादी श्री नायब सिंह की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ों के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 95,000/- रुपये के नोटों को श्री रमन दायमा कानि. के जरिये परिवादी के पहने कुर्ते की दाहिनी साईड की जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को देवे, आरोपी को रिश्तत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन उप पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बरो पर मिसड कॉल कर रिश्तत राशि देने का ईशारा करें। परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्तत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री रमन दायमा कानि. के हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिकवाया, डिस्पोजेबल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्री रमन दायमा कानि. के हाथ को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे परिवादी व आरोपी के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्तत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्तत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चौकी हाजा का डिजीटल वाइस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर परिवादी श्री नायब सिंह को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। उक्त कार्रवाई की अलग से फर्द सुपुर्दगी नोट मुर्तिब की गई। वक्त 11.40 एएम पर परिवादी श्री नायबसिंह के साथ उसकी निजी कार से ब्यूरो स्टॉफ के श्री भवानी सिंह कानि., श्री आशीष कुमार कानि. एवं श्री शिवदत्त कानि. को रवाना कर उसके पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतन्त्र गवाह श्री साहिब्राम, श्री धर्मवीर एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री मंगतुराम सउनि, श्री जगदीश राय मु.आ., श्री राजेश कुमार मु.आ., श्री नरेश कुमार मु.आ., श्री संजीव कुमार कानि., श्री भंवर राम कानि., श्री पंकज शर्मा कानि.ड्रा. मय लेपटॉप-प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स साथ लेकर सरकारी बोलेरो एवं प्राईवेट कार से गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना होकर केसरीसिंहपुर के नजदीक पहुंचा, जहां परिवादी भी ब्यूरो स्टॉफ सहित मौजूद मिला। परिवादी को आरोपी का मालुमात करने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि आरोपी पटवारी मुझे बार-बार फोन कर रहा है, जिस पर परिवादी की जरिये मोबाईल आरोपी पंखीलाल पटवारी से वार्ता करवाई गई तो आरोपी पटवारी अभी हल्के में होना तथा केसरीसिंहपुर करीब घण्टे भर बाद आने का कहा। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के वही गोपनीय स्थान पर मुकिम हुआ। वक्त 1.24 पीएम पर परिवादी नायब सिंह के मोबाईल पर आरोपी पंखीलाल पटवारी का फोन आया एवं बताया कि मैं मेरे प्राईवेट ऑफिस में पहुंच गया हूं तुम आ जाओ। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को उसकी प्राईवेट कार में ब्यूरो स्टॉफ के श्री भवानी सिंह कानि., श्री आशीष कुमार कानि., श्री शिवदत्त कानि. को रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के सरकारी एवं प्राईवेट वाहन से रवाना केसरीसिंहपुर स्थित बड़ा गुरुद्वारा चुघ ई-मित्रा के पास पहुंच परिवादी नायब सिंह को आरोपी के चुघ ई-मित्रा वाले भवन के उपर स्थित मकान में आरोपी से सम्पर्क करने रवाना कर ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 1.45 पीएम पर परिवादी श्री नायब सिंह ने केसरीसिंहपुर स्थित बड़ा गुरुद्वारा के मामले चुघ ई मित्रा के उपर बने मकान से मिसड कॉल से ट्रेप का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के अविलम्ब चुघ ई-मित्रा के उपर बने मकान पर कमरे में पहुंचा तो परिवादी ने डिजीटल वाइस रिकॉर्डर पेश कर पास में ही बैठे एक जिन्स पेंट-टी शर्ट पहने नवयुवक की ओर ईशारा कर बताया कि यही पंखीलाल पटवारी है, जिन्होंने मेरे से रिश्तत राशि के 95,000/रुपये अपने हाथ में लेकर पहनी जिन्स पेंट के सामने की बांयी जेब में रख लिये, जिस पर तुरन्त ब्यूरो स्टाफ से उस युवक को काबु किया गया तो वह घबरा गया, जिसे तसल्ली दी जाकर उक्त युवक को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पंखीलाल मीणा पुत्र श्री ख्यालीराम मीणा जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी गांव हिगोनी तहसील व जिला सवाईमाधोपुर हाल राजस्व पटवारी, पटवार हल्का 6 वी धनूर अति. चार्ज पटवार हल्का 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर होना बताया। फिर आरोपी से परिवादी से सम्बंधित कार्य एवं उससे ली गई रिश्तत राशि के सम्बंध में पूछा तो उसने बताया कि साहब इस नायब सिंह ने अभी जो रुपये मुझे दिये हैं, वो धनूर के किसी व्यक्ति को देने के लिये दिये थे, मेने इन रूपयों को गिना नहीं, मेरे पास नायब सिंह का कोई काम पेण्डिंग नहीं है, मैंने कोई रिश्तत की मांग नहीं की, यह रुपये मेरी पेंट की जेब में रखे हैं। जब आरोपी से पूछा गया कि किस व्यक्ति को देने हेतु परिवादी ने यह रुपये दिये हैं तो कहा कि किसी मोसायटी वाले व्यक्ति को देने हेतु कहा है। फिर मौका पर परिवादी नायब सिंह ने स्वतः ही रूबरू गवाहान आरोपी की उक्त बात का खण्डन करते हुये बताया कि मेरे एवं मेरी पत्नी सतवीर कौर के नाम की चक 11 एस, चक 6 वी तथा चक 3 एकम् स्थित कृषि भूमि पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 में मूंग की फसल का ग्राम सेवा सहकारी

समिति से फसल बीमा करवाया था, मूंग की फसल खराब हो गई थी, जिसकी क्राप कटिंग हमारे हल्का पटवारी पंखीलाल मीणा ने की थी, क्राप कटिंग के आधार पर फसल का बीमा क्लेम मेरे एवं मेरी पत्नी के बैंक खाते में दिनांक 11.08.25 को राशि करीब 2.28 लाख रुपये जमा हुये है, जिसका पता हमारे हल्का पटवारी पंखीलाल को चलने पर उसने मुझे कॉल करके कहा कि यह मूंग की फसल का बीमा क्लेम मेरे द्वारा मदद करने पर मिला है, उक्त जमा क्लेम राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा खर्च पानी के दो। जिस पर मैंने दिनांक 14.08.25 को कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में प्रार्थना पत्र देने पर दिनांक 18.08.25 को आप द्वारा करवाये गये रिश्त मांग सत्यापन में पंखीलाल पटवारी ने मेरे से 2.28 लाख रुपये का पहले तो 45 प्रतिशत राशि की मांग की, फिर मेरे द्वारा हाथा जोड़ी करने पर 40 प्रतिशत के हिसाब से 95,000/रुपये रिश्त के लेना तय किया, जो आज मैंने अभी अभी पंखीलाल पटवारी को दी है, जो उसके पहने जिन्स पेंट की सामने की बांयी जेब में रखी है। इस पर आरोपी पंखीलाल मीणा राजस्व पटवारी को पुनः पूछा गया तो वह चुप रहा। उक्त घटनाक्रम से परिवादी व आरोपी पंखीलाल मीणा के मध्य रिश्त राशि का आदान-प्रदान होने पर रिश्त राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी पंखीलाल मीणा के दोनो हाथों आदि की धुलाई हेतु सरकारी गाडी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो नये पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास लेकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी पंखीलाल मीणा के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'आर-1, आर-2' अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी पंखीलाल मीणा के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'एल-1, एल-2' अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी पंखीलाल मीणा से उसके द्वारा ली गई रिश्त राशि के बारे में पूछा तो उसने अपने पहनी जिन्स पेंट के सामने की बांयी जेब में रखे होना बताया, जिस पर गवाह श्री साहिब्राम से आरोपी के पहनी जिन्स पेंट की सामने की बांयी जेब को चैक करवाया तो गवाह ने 500-500/रुपये के नोट निकालकर पेश किये, फिर दोनो गवाहो से इन बरामदशुदा नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरो से करवाने पर दोनो गवाहान ने हूबहू रिश्त राशि वाले नोट होना बताया। जिस पर उक्त राशि गवाह साहिब्राम के पास ही रहने दी गई। चूंकि घटनास्थल वाले मकान पर ट्रेप कार्यवाही करने बाबत पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने एवं भीड़ भाड़ वाली जगह है, ऐसी परिस्थितियों के तहत आगे की कार्यवाही मौका पर किया जाना सम्भव नहीं होने से मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान गवाहान, परिवादी, आरोपी पंखीलाल मीणा पटवारी व ब्यूरो स्टाफ को हमराह लेकर वक्त 2.30 पीएम पर रवाना होकर वक्त 2.40 पीएम पर पुलिस थाना केसरीसिंहपुर पहुंचा, जहां गवाह साहिब्राम ने निर्देशानुसार उक्त बरामदशुदा रिश्त राशि को गिनकर 500-500/रु के 190 नोट कुल 95,000/रु होना बताया। बरामदशुदा राशि के नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर रिश्त राशि बरामदगी स्थान जिन्स पेन्ट की जेब की धुलवाई के लिये एक अलग पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर आरोपी पंखीलाल मीणा के पहनी जिन्स पेन्ट उतरवायी जाकर पहनने को लॉअर दिया गया। फिर उतरवायी गई जिन्स पेंट बरंग नीला की सामने की बांयी जेब को उलटवाकर धोवन में डूबोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'पी-1, पी-2' अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धुलाई के पश्चात जिन्स पेंट की जेब को सुखाकर पेन्ट को एक पकड़े की थैली में डालकर सील चिट मोहर किया गया। फिर आरोपी पंखीलाल मीणा राजस्व पटवारी से परिवादी नायब सिंह व उसकी पत्नी सतवीर कौर के प्राप्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बन्धित दस्तावेजों के सम्बन्ध में पूछा तो उसने बताया कि मेरे द्वारा मेरे पटवार हल्का 6 वी धनूर में खरीफ 2024 की मूंग की फसल की क्राप कटिंग की गई थी, उससे सम्बन्धित दस्तावेज मेरे द्वारा उसी समय तहसील कार्यालय में जमा करवा दिये गये थे, क्लेम से सम्बन्धित दस्तावेज मेरे पास नहीं है। वक्त 4.00 पीएम पर परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर रूबरू गवाहान, परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की लेपटॉप से श्री भवानी सिंह से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपड़े की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दूसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड में स्थापित मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफ़ेद कपड़े की थैली में सीलचिट कर मार्क 'T' अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित की गई। तत्पश्चात आरोपी पंखीलाल मीणा राजस्व पटवारी, पटवार हल्का 6 वी धनूर अति. चार्ज पटवार हल्का 2 एक्स तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर को उसके जुर्मो से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्र.नि.अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी

मूर्तिब की गई। घटनास्थल केसरीसिंहपुर स्थित बड़ा गुरुद्वारा के सामने चुघ ई मित्रा के उपर बने मकान पर ट्रेप कार्रवाई के दौरान मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने मोबाईल से हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्तत राशि तथा आरोपी से पूछताछ की विडियोग्राफी मोबाईल की INTERNAL MEMORY में की गई, मोबाईल को लेपटॉप से कनेक्ट कर श्री भवानी सिंह कानि. से उक्त विडियोग्राफी को दो अलग अलग 8-8 जीबी के पैन ड्राईव में कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। एक पैन ड्राईव को कपड़े की थैली में सील मोहर चिट कर मार्क वी-1 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया दुसरे पैन ड्राईव पर मार्क वी-2 अंकित को अन्वेषणार्थ खुला रखा गया। ट्रेप कार्रवाई विरुद्ध पंखीलाल मीणा राजस्व पटवारी, पटवार हल्का 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर में माल वजह सबूतो को, जिस पीतल की सील न. 55 से सील मोहर चिट किया गया था, उस पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मूर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। वक्त 6.20 पीएम पर आरोपी पंखीलाल मीणा राजस्व पटवारी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केसरीसिंहपुर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाने ब्यूरो स्टाफ के साथ रवाना किया जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान परिवारी, स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के पुलिस थाना केसरीसिंहपुर से रवाना होकर केसरीसिंहपुर स्थित घटनास्थल (बड़ा गुरुद्वारा के सामने चुघ ई-मित्रा के उपर बने मकान ) पहुंच घटनास्थल का नक्षा मौका हालात मौका तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली गया। निर्देशानुसार ब्यूरो स्टाफ आरोपी पंखीलाल मीणा राजस्व पटवारी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केसरीसिंहपुर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उपस्थित आये। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। वक्त 7.00 पीएम पर मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर परिवारी नायब सिंह को मौका से आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गिरफ्तारशुदा आरोपी पंखीलाल राजस्व पटवारी एवं जन्तशुदा एवं बरामदशुदा वजह सबूत आदि के सरकारी बोलेरो गाड़ी एवं प्राईवेट कार से रवाना ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जन्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत छः शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 95,000/रु रिश्तत राशि, शील्ड शुदा जिन्स पेंट, शील्डशुदा दो मैमोरी कार्ड, तीन शील्डशुदा पैन ड्राईव आदि श्री राजेश कुमार मु.आ. के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाये जाने के आदेश फरमाये जाने पर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में दाखिल करवाया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवारी नायब सिंह एवं उसकी पत्नी श्रीमती सतवीर कौर के नाम की चक 11 एम, चक 6 वी तथा चक 3 एक्स स्थित कृषि भूमि पर काश्त की गई मूंग की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 में फसल बीमा करवाया था, मूंग की फसल खराब होने पर दिनांक 11.08.25 को परिवारी एवं उसकी पत्नी दोनो के बैंक खातो में करीब 2.28 लाख रुपये क्लेम राशि जमा हुई। उक्त मूंग की फसल खराबे की क्रॉप कटिंग हल्का पटवारी श्री पंखीलाल मीणा ने की थी, हल्का पटवारी को उक्त क्लेम राशि खातो में जमा होने की जानकारी मिलने पर परिवारी को हल्का पटवारी पंखीलाल लगातार अपने मोबाईल न. 9898989898 से परिवारी के मोबाईल न. 9898989898

पर कॉल करके कहा कि यह मूंग की फसल का बीमा क्लेम मेरे द्वारा मदद करने पर मिला है, इसलिय मुझे आपके खाता में जमा क्लेम की राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा खर्चे पानी के दो। जिस पर परिवारी द्वारा दिनांक 14.08.25 को ब्यूरो कार्यालय पर प्रार्थना पत्र देकर दिनांक 18.08.25 को रिश्तत मांग का सत्यापन करवाना। सत्यापन के दौरान आरोपी पंखीलाल मीणा राजस्व पटवारी ने परिवारी से प्राप्त क्लेम राशि करीब 2.28 लाख रुपये का पहले तो 45 प्रतिशत राशि बतौर रिश्तत मांग की, फिर परिवारी द्वारा हाथा जोड़ी कर कम करने का कहा तो उसने 40 प्रतिशत का कहकर 95000/रूपये बतौर रिश्तत लेना लेना तय किया। उक्त रिश्तत मांग के अनुशरण में दिनांक 20.08.25 को परिवारी नायब सिंह से आरोपी पंखीलाल मीणा पटवारी द्वारा केसरीसिंहपुर स्थित अपने प्राईवेट ऑफिस में 95000/रूपये रिश्तत प्राप्त कर अपने पहनी जिन्स की पेंट के सामने की बांयी जेब में रखना, जहां से रिश्तत राशि बरामद होना आरोपी पंखीलाल पटवारी के हाथो एवं रिश्तत राशि बरामदगी स्थान जिन्स पेंट की जेब से धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग हल्का गुलाबी एवं गुलाबी प्राप्त होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्तत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में रिश्तत की मांग व रिश्तत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी पंखीलाल मीणा राजस्व पटवारी, पटवार हल्का 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा उक्त पद का लोक सेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरुपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर परिवारी नायब सिंह से 95,000/रूपये रिश्तत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का घटित होना पाये जाने पर आरोपी पंखीलाल मीणा पुत्र श्री ख्यालीराम मीणा जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी गांव हिंगोनी तहसील व जिला सवाईमाधोपुर हाल किरायेदार गुरुनानक डेयरी के पास श्रीकरणपुर हाल राजस्व पटवारी, पटवार हल्का 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। ( भुपेन्द्र कुमार ) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भुपेन्द्र कुमार, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

श्रीगंगानगर-प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पंखीलाल मीणा पुत्र श्री ख्यालीराम मीणा उम्र 27 साल निवासी गांव हिंगोनी तहसील व जिला सवाईमाधोपुर हाल किरायेदार गुरुनानक डेयरी के पास श्रीकरणपुर हाल राजस्व पटवारी, पटवार हल्का 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो, हनुमानगढ़ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 419 पर अंकित है (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1231-34 दिनांक 21.08.2025, प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है- 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम श्रीगंगानगर, 2. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर 3 - उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, बीकानेर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर-प्रथम।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

RAJENDRASINGH

Rank

निरीक्षक

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

No(सं.): to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by Mahaveer Prasad  
Sharma  
Location Rajasthan,IN  
Date: 21/8/2025 11:04

15. Date and time of dispatch to the court  
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )  
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth<br>( जन्म तिथि / वर्ष) | Build<br>(बनावट) | Height(cms.)<br>(कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s)<br>(पहचान चिन्ह) |
|----------------|------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1              | 2          | 3                                         | 4                | 5                           | 6                 | 7                                       |
| 1              | Male       | 03/07/1998                                |                  |                             |                   |                                         |

| Deformities/ Peculiarities<br>(विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth<br>(दाँत) | Hair<br>(बाल) | Eyes<br>(आँखें) | Habit(s)<br>(आवर्तें) | Dress Habit(s)<br>(पहनावा) |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| 8                                                      | 9               | 10            | 11              | 12                    | 13                         |
|                                                        |                 |               |                 |                       |                            |

| Language /Dialect<br>(भाषा /बोली) | Burn Mark<br>(जले हुए का निशान) | Leucoderma<br>(धवल रोग ) | Mole<br>(मस्ता) | Scar<br>(घाव) | Tattoo<br>(गूदे हुए का) | Others<br>(अन्य) |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------|
| 14                                | 15                              | 16                       | 17              | 18            | 19                      | 20               |
|                                   |                                 |                          |                 |               |                         |                  |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.  
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)